

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Revision Petition No. 218/2026

Nagar Nigam, Bharatpur (Raj.) Through Commissioner, Nagar Nigam Bharatpur (Raj.).

-----Petitioner

Versus

1. Ramdayal S/o Shri Buddhi Singh, Aged About 74 Years, R/o Deendayal Nagar, Bharatpur-Raj.
2. Urban Improvement Trust, Bharatpur, Through Secretary, Urban Improvement Trust Bharatpur
3. Smt. Urmila W/o Late Mahesh Chand, R/o Vikas Nagar, Bharatpur-Raj.

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. J.K. Moolchandani, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

05/05/2026

प्रार्थी/याची के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि उन्होंने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लिखित कथन प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें यह विधिक आपत्ति है कि 100 वर्गगज से कम भूखंड को स्ट्रीप ऑफ लैंड(खांचा भूमि) की श्रेणी में मानकर आवंटित नहीं किया जा सकता है। उक्त विधिक प्रश्न को विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर निस्तारित किए जाने के आदेश किए जाने की स्वतंत्रता के साथ वे यह सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 218/2026 अंतर्गत धारा 115 सिविल प्रक्रिया संहिता को प्रत्याहरित करते हैं।

तदनु रूप यह सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 218/2026 अंतर्गत धारा 115 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रत्याहरित किए जाने के आधार पर निस्तारित की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे

उक्त विधिक प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुनकर विधिनुसार उक्त प्रश्न को भी अवधारित करे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J